

5

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-95/2020-21

STATE BANK OF INDIA, SARB, RANCHI

बनाम्

M/S MAA KALI STEEL

-: आदेश :-

19.03.2022

प्राधिकृत पदाधिकारी, State Bank of India, SARB, Ranchi, Main Branch Building, Ranchi द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी M/S MAA KALI STEEL प्र० श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा सा०-अभिमन्यु नगर पुरुलिया रोड, चास, बोकारो एवं अन्य के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष State Bank of India, SARB, Ranchi की ओर से दाखिल आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Equitable Mortgage Land/Building covered under Plot No. 1514 & 1432 Khata No. 68, Mouza Jamgoria, Title deed No. 916 & 918 dated 10.02.2015 and 1432 dated 17.02.2010, Thana No. 53, Thana Chas, Dist. Bokaro Jharkhand total area of the plot is 1.37 decimal, 37.88 decimal & 20.50 decimal & presently owned by Shri Shambhu Sharan Sharma, Shri Upendra Kumar Sharma, Rakesh Kumar Dutta & Shree Shadhu Sharan Sharma) को गिरवी रखते हुए बैंक ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-27.09.2018 को ही एन०पी०ए० हो गया है। दिनांक-06.07.2020 तक ऋणकर्ता पर कुल रुपये 2,84,18,757.00 के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI



ACT-2002 की धारा-14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

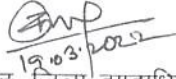
द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान लगातार पुकार पर अनुपस्थित है।

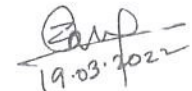
प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का सुनवाई के दौरान लगातार पुकार पर अनुपस्थित रहना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी State Bank of India, SARB, Ranchi, Main Branch Building, Ranchi द्वारा किए गए अनुरोध पर प्ररनगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए निम्न-व्यवस्था संस्थापन हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


 19.03.2022
 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।


 19.03.2022
 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।